



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी

भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 2742 / SEIAA/2021

Date: 7/11/22

प्रति,

मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लि.

वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं कार्पोरेट प्रमुख,

अहुरा सेंटर, प्रथम तल, 'ए' विंग, महाकाली केवस रोड़,

अंधेरी (ई), जिला-मुंबई (महाराष्ट्र)-400093

विषय :- प्रकरण क्र. 8599/2021 : परियोजना प्रस्तावक मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लि. वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं कार्पोरेट प्रमुख, अहुरा सेंटर, प्रथम तल, 'ए' विंग, महाकाली केवस रोड़, अंधेरी (ई), जिला-मुंबई (महाराष्ट्र)-400093 द्वारा चूना पत्थर खदान, एरिया 68.91 हेक्टेयर संशोधित एरिया 60.671 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 0.27 मिलियन टन प्रतिवर्ष, ग्राम बुदगवाना, बागवर व घोरहाटोला, तहसील रामपुर नैकिन, जिला सीधी (म.प्र.) की पर्यावरणी स्वीकृति में संशोधन के लिये आवेदन।

प्रकरण पर 699वीं SEIAA बैठक दिनांक 29.12.2021 में चर्चानुसार निम्नानुसार निर्णय लिया गया

" राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 531वीं बैठक दिनांक 06.12.2021 में उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं दिये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/आरक्ष्यपी/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 531वीं बैठक दिनांक 06.12.2021 की अनुशंसा को मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से सत्यापित अनुपालन प्रतिवेदन की प्रति SEIAA कार्यालय में प्राप्त होने के उपरांत संशोधित पर्यावरण स्वीकृति जारी की जायेगी। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णयानुसार पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से अभिप्रमाणित कराकर प्रस्तुत करें।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी